

15

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (घरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद - उत्तरकाशी चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (घरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है
	ग) परियोजना की लागत।	रु०. 237.80 करोड़
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वर्तमान में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का ही चौड़ीकरण किया जा रहा है
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	पर्यटन एवं सुचारु परिवहन सुविधा का लाभ और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य वार विवरण	5.969 हेक्ट. आरक्षित एवं सिविल सोयम वन भूमि
(1)	आरक्षित वन भूमि	5.566 हेक्ट.
(2)	वन पंचायत भूमि	नहीं है।
(3)	राज्य भूमि (सिविल सोयम)	0.403 हेक्ट.
(4)	नाप भूमि (नीजि भूमि)	0.449 हेक्ट.
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	नहीं है
	क परिवारों की संख्या	उक्त वन भूमि से कोई भी परिवार प्रभावित नहीं हो रहा है।
	ख अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	हाँ

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है

दिनांक.....

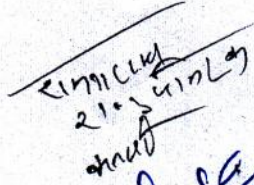
प्रयोक्ता एजेन्सी

(इं० नवनीत पाण्डेय)

अधिशाली अभियन्ता, रा०मा०खण्ड,

लो०नि०वि०, बड़कोट, उत्तरकाशी।

स्थान :- बड़कोट


 21.12.2018
 Sanjay
 11/12/20
 22/12/18

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

	परियोजना/स्कीम का स्थान	चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।	
7.	(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखंड	
	(ii) जिला	उत्तरकाशी	
	(iii) जिला वन प्रभाग	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।	
	(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	5.969 हे०	
	(v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि	5.566 हे०
		वन पंचायत भूमि	-
		राज्य भूमि (सिविल सोयम भूमि)	0.403 हे०
		नाप भूमि	0.449 हे०
8.	हरियाली का घनत्व		
9.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	संलग्न है।	
10.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। भू-शीलता पर वैज्ञानिक आख्या संलग्न है।	
11.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी		
	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :		
12.	(i) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।	

13.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
14.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। जिसका चौड़ीकरण किया जा रहा है।
15.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं।
16.	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-	
	(i) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
	(ii) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	
	(iv) क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
	(v) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	
	(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सम्बंधित उपवन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं)	
	(vii) प्रभाग / जिला प्रोफाइल	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
	(viii) जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	
	(ix) जिला का वन क्षेत्र।	

17.	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)	
18.	स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिद्रिष्ट सिफारिश	याचक विभाग द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे। अतः जनहित में संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

भाग- I I I

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

19.	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
20.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
21.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

तिथि.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:- चार घाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (घरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रारूप - IV

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	
---	--	--

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रारूप - V

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग - 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

1	राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग-2 या भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	
---	---	--

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर